भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 269

(दिनांक 24.07.2024 को उत्तर के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

269. श्री तनुज पुनिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय सेवाओं के लिए आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुपात क्या है; और

(ख) विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अंतर्गत, मंत्रालय/विभाग-वार रिक्त पड़े पदों और सरकार द्वारा अधिसूचित पदों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ख): केन्द्र सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती पर अजा, अजजा एवं अपिव समुदायों को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। पदोन्नति के मामले में, अजा एवं अजजा को क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

रिक्तियों का होना एवं भरा जाना, एक सतत् प्रक्रिया है। आरक्षण से संबंधित आदेशों एवं अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, डीओपीटी ने केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उप सचिव एवं उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए संपर्क अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए उनके सीधे नियंत्रणाधीन एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ बनाना आवश्यक है।

*****